

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 235103003352016

दांडिक प्रकरण क.-511/16

संस्थापित दिनांक-24.11.16

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर। <div>.....अभियोजन</div>
विरुद्ध
01-राजभान पुत्र मुंशीलाल यादव उम्र 28 साल निवासी ईसागढ़ अशोकनगर। <div>.....आरोपी</div>
राज्य द्वारा :- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.। आरोपी द्वारा :- श्री दीपक श्रीवास्तव अधिवक्ता।

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 21.03.2017 को घोषित)

01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 354, 323, 506 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02- प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपी का फरियादी से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपी को भादवि की धारा 323, 506 भाग दो के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादवि की धारा 354 के संबंध में पारित किया जा रहा है।

04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले की फरियादी किरनबाई ने दिनांक 28.10.16 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक को वह अपने घर में अपने बच्चों के साथ सो रही थी कि ईसागढ का राजभान यादव जो अपनी बहन ब्रह्मा बाई के पास पंचम नगर में रहता है वहीं उसकी बहन का देवर महेन्द्र पाल रहता है इसलिए वो उसे जानता है, आया और उसे आवाज दी तो उसने उसकी पहचान की वजह से किवाड खोल दिए। जैसे ही उसने किवाड खोले तो राजभान ने उसे बुरी नीयत से पकड़कर अकवारी भर ली व उसकी दोनों छाती दबा दीं। वह चिल्लाई तो उसके पेट में लात मार दी जिससे वह नीचे गिर गई, फिर राजभान छोड़कर भाग गया एवं जाते-जाते बोल रहा था कि रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर दूंगा। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 511/16 के अंतर्गत भादवि की धारा 354, 323, 506 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

05— प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 354, 323, 506 भाग दो के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।

06— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपी ने दिनांक 27.10.16 को समय 23.30 बजे पंचम नगर चंदेरी पर फरियादिया किरनबाई जो कि एक स्त्री है, उसकी लज्जा भंग करने के आशय से उसे पकड़कर उसकी छाती दबाकर आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

--:: सकारण निष्कर्ष ::--

07— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 किरनबाई की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

08— अभियोजन साक्षी 01 किरनबाई ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को जानती है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को वह अपने घर पर सो रही थी और तब आरोपी गाली गलौच कर रहा था। उक्त साक्षी के अनुसार कहासुनी के बाद आरोपी वापस चला गया था जिस पर से उसने आरोपी के विरुद्ध प्रपी 01 की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी। उक्त साक्षी के अनुसार उसने पुलिस कथन प्रपी 03 का ए से ए भाग पुलिस को नहीं दिया था। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी उसके कमरे में घुस आया था। उक्त साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि आरोपी ने बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़ा था। अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षी के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियोजन साक्षी जो कि मामले की फरियादी भी है ने अपने कथनों में यह कहीं नहीं बताया है कि घटना दिनांक को आरोपी द्वारा बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़ा गया था। इस प्रकार अभियोजन साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता कि घटना दिनांक को आरोपी ने फरियादी की लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ पकड़कर उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया।

09— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपी को

भादवि की धारा 354 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

10— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

11— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।

12— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)